|| NAMO TITTHASSA ||

GACCHADHIPATI (SPIRITUAL SOVEREIGN)
JAINACHARYA SHRIMADVIJAY
YUGBHUSHANSURI
(PANDIT MAHARAJ SAHEB)

[मूल गुजराती पत्र का अनुवाद]
विक्रम संवत २०७७, भाद्रपद शुक्ल ११
शत्रुंजयादि तीर्थ संरक्षक,
जगद्गुरु हीरविजयसूरि महाराजा का
स्वर्गारोहण दिवस
दिनांक: 17 सितंबर 2021
बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई
Ref No. : 202109ग-०५

सकल श्रीसंघ की जानकारी हेतु ज्ञापन

विषय : श्री शत्रुंजय तीर्थ संबंधित 19 अगस्त 2021 को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का समीक्षात्मक एवं तटस्थ विश्लेषण

भाग - 2

श्री शत्रुंजय महातीर्थ जैनों का महामहिमाशाली सर्वश्रेष्ठ तीर्थस्थान है । उससे संबंधित दर्ज किए गए एक कानूनी मामले का निर्णय 19 अगस्त 2021 को आया है । उस मामले में तीर्थ की व्यवस्थापक आनंदजी कल्याणजी पेढ़ी द्वारा दाखिल किए गए एफिडेविट का तटस्थ विश्लेषण करके भाग-1 के रूप में श्रीसंघ के समक्ष प्रस्तुत किया था। यहाँ फैसले के तटस्थ विश्लेषण का भाग-2 श्रीसंघ के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ ।

उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के जैन संघ के लिए चिंताजनक निष्कर्ष

1. फैसले के अनुच्छेद नं. 40, 46 और 51 के अनुसार सन् 1877 में शत्रुंजय महातीर्थ विषयक अंग्रेज़ सरकार द्वारा जारी पॉलिटिकल ऑर्डर और सन् 1928 में पेढ़ी और पालीतणा के ठाकुर के बीच शत्रुंजय तीर्थ संबंधी हुआ समझौता - इन दोनों दस्तावेज़ों को फिर से ठोस मान्यता दी गई है । अनुच्छेद नं. 47 के अनुसार तो ऐसा आदेश दिया गया है कि ये दोनों आदेश सभी पक्षकारों के लिए बंधनकर्ता है ।

वास्तव में, उपरोक्त दोनों दस्तावेज़ों द्वारा जैन संघ ने परंपरा से चले आ रहे ढ़ेर सारे महत्त्वपूर्ण अधिकार गवाँ दिए थे । वे ही दस्तावेज़ सभी को बंधनकर्ता है – ऐसा अदालत ने फिर से स्थापित किया, जिससे महत्त्वपूर्ण अधिकार गँवाने से हुआ भारी नुकसान और मज़बूत बना । यह बात जैन संघ के लिए काफी हानिकारक साबित हो

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, India
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

सकती है । हालांकि उन दोनों दस्तावेज़ों द्वारा चले आ रहे अमुक धार्मिक अधिकार मान्य भी किए गए थे । फिर भी पेढ़ी द्वारा उन अधिकारों का ठोस उपयोग करके तीर्थ के लिए कोई विशेष लाभदायक कदम उठाए गए हो - ऐसा नहीं लगता ।

यहां एक घटना उल्लेखनीय है । वर्षों पहले पेढ़ी और स्थानीय दरबार के बीच अनेक मुद्दों पर बड़े विवाद हुए थे । उन विवादों का अंत लाने अंग्रेज़ सरकार को बीच में लाकर सन् 1928 में दरबार के साथ शिमला में एक समझौता किया गया था । उसमें अंग्रेज़ सरकार के हस्तक्षेप, दरबार के हठाग्रह आदि अनेक कारणों से पेढ़ी द्वारा ऐसी शर्तें मान ली गई जिनसे हमारे तीर्थों को भारी नुकसान हो । फिर भी पेढ़ी द्वारा ऐसा प्रचार किया गया कि 'संतोषजनक समाधान हो गया है ।' उस समझौते से जैन संघ को होने वाले संभावित गंभीर नुकसानों की भनक तक पेढ़ी द्वारा नहीं आने दी गई । उलटा, इस समझौते की पेढ़ी द्वारा गाँव-गाँव में बधाई करवाई गई थी, जो पेढ़ी द्वारा जैन संघ को सच्ची जानकारी से अंधेरे में रखने का स्पष्ट उदाहरण है ।

2. आगे बढ़ते हैं । फैसले के अनुच्छेद नं. 51 में निर्देश किया गया है कि सन् 1928 के समझौते के अनुसार गिरिराज पर यात्रियों आदि के व्यवहार संबंधित नीति–नियम बनाने का ओवर आर्किंग और सुपरविनिंग अधिकार आनंदजी कल्याणजी पेढ़ी के पास है ।

याने करीब 93 वर्षों से तो संपूर्ण गिरिराज पर यात्रियों, आगंतुकों, कर्मचारियों व मज़दूरों आदि के लिए नीति–नियम बनाने की ओवर आर्किंग व सुपरविनिंग सत्ता पेढ़ी के पास है - ऐसा मान्य हुआ है ।

हालांकि ऐसी सत्ता जैन संघ के पास परापूर्व से चली ही आ रही है, लेकिन 93 वर्ष पूर्व दूसरे अनेक महत्त्वपूर्ण अधिकार दबा दिए जाने के बावजूद उपरोक्त अधिकार अब तक सुरक्षित ही रहे हुए हैं । लेकिन अफसोस की बात यह है कि संपूर्ण गिरिराज की बात तो दूर रही, सिर्फ गढ़ के अंदर भी पिछले 93 वर्षों में पेढ़ी ने उपरोक्त नीति-नियम बनाने के अधिकारों का उपयोग किया हो - ऐसा नहीं दिखता ।

जिस गिरिराज पर खुले पैर यात्रा करने की शास्त्राज्ञा है, हमारे कितने ही छोटे बच्चें भी संपूर्ण यात्रा खुले पैर करते हैं, शास्त्रकारों के अनुसार जूते पहनकर यात्रा करने से गिरिराज की आशातना होती है, फिर भी पेढ़ी ने गढ़ के अंदर भी चमड़े के जूतें जैसी अपवित्र वस्तुओं पर पाबंदी का अमल नहीं करवाया है । जैनशास्त्र जिस गिरिराज पर कुछ भी खाना तीर्थ की पवित्रता की दृष्टि से अनुचित गिनाते हैं, वर्तमान में भी हमारे हज़ारों आराधक कुछ भी खाए बगैर यात्रा करते हैं, तो भी संपूर्ण गिरिराज तो दूर की बात रही, मंदिरों के गढ़ में भी अभक्ष्य भक्षण, पान-बीड़ी का खुलेआम उपयोग, जहां–तहां थूकना, फिल्मी गीत सुनना और भी अन्य अयोग्य प्रवृत्तियां हमारे ही कर्मचारियों या डोलीवालों द्वारा खुलेआम हो रही है । उसे भी सख्ती से रोकने के लिए पेढ़ी ने अपने अधिकारों का उपयोग किया हो - ऐसा नहीं दिखता ।

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

पवित्रता तो संपूर्ण गिरिराज पर बनाए रखने की अत्यंत आवश्यकता है, परंतु मंदिरों के गढ़ में भी ऐसी हालत बना रखी है कि कोई अनजान व्यक्ति यह सब देखकर हमें पूछ ले कि 'क्या यह है आपका सर्वश्रेष्ठ महातीर्थ?' तब सिर उठाकर नज़र मिलाने की भी हैसियत न रहे । किसी सामान्य धर्मस्थान के परिसर को भी बिल्कुल शोभा न दे वैसा तुच्छ वातावरण हमारे सर्वश्रेष्ठ महातीर्थ पर और वह भी मंदिरों की नगरी गिने जाने वाले गढ़ के परिसर में वर्षों से जमा हुआ है । और वह भी ऐसी परिस्थिति में जब 93 वर्षों से यात्रियों आदि के लिए नीति-नियम बनाने की ओवर आर्किंग और सुपरविनिंग सत्ता पेढ़ी के पास होने की मान्यता प्राप्त है ...!!!

एक बार तो ऐसा विचार आ जाता है कि पेढ़ी के पास ऐसी सत्ता है, फिर भी यदि उसका उपयोग ही न किया जाता हो, तो अदालत ने जिस अधिकार की पुष्टि की है उसका फायदा क्या जैन संघ को मिलेगा ?

3. फैसले के अनुच्छेद नं. 41, 43, 45 और 50 में शत्रुंजय तीर्थ पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को प्रतिबंधित प्रवृत्ति घोषित किया गया है और तीर्थ पर किसी भी नए निर्माण या मरम्मत कार्य करने की मंज़ूरी देनी हो या नीति-नियम बनाने हो तो उसके अधिकार प्रतिनिधि संस्था के तौर पर आनंदजी कल्याणजी पेढ़ी को ही है । लेकिन गिरिराज पर अतिक्रमणों को हटाने की ज़िम्मेदारी पुलिस की है ।

याने प्रतिनिधि संस्था के तौर पर पर्वत पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य करने आदि के लिए अनुमति देने के अधिकार पेढ़ी को सौंपे गए हैं, लेकिन किसी के भी अतिक्रमण हटाने के अधिकार पेढ़ी को न देकर पुलिस को देने के द्वारा सरकार के रखे गए हैं । यहां अदालत ने अतिक्रमण के विषय में जो आदेश दिया है वह अच्छा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इससे जैन संघ को क्या लाभ होगा ? क्योंकि अब तक पेढ़ी का अभिगम ऐसा रहा है हि '*सरकार के माध्यम से गैर-कानूनी अतिक्रमणों को हटवाना लगभग नामुमकिन होता है । ऐसे प्रयास करने पर स्थानीय लोगों के साथ विरोध में उतरना पडता है ।*' पेढ़ी की ऐसी विचारधारा और रवैया होने के कारण पूरा अधिकार होने के बावजूद पेढ़ी ने अतिक्रमणों को हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए है । अरे ! परिस्थिति ऐसी है कि अतिक्रमण हटाने की बात तो दूर रही, आज तक घोर उपेक्षा कर के गिरिराज पर अनेक अतिक्रमण होने दिए गए हैं । इससे गिरिराज पर धीरे-धीरे अतिक्रमण बढ़ते ही जा रहे हैं, फिर भी पेढ़ी द्वारा उसके खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही की गई हो – ऐसा नहीं लगता । इन हालातों में उच्च न्यायलय द्वारा अतिक्रमण हटाने का दिया गया आदेश जैन शासन के लिए लाभदायक साबित होगा, ऐसा कहा नहीं जा सकता। अर्थात् अतिक्रमण दूर कराने के लिए पेढ़ी कोई ठोस कदम उठाएगी - इस उम्मीद की कोई किरण तक नहीं दिखती ।

4. अब फैसले के अनुच्छेद नं. 43 में ऐसा निर्देश दिया गया है कि पर्वत पर स्थित महादेव मंदिर का प्रबंधन जैन शास्त्रों के अनुरूप किया जाएँ और अनुच्छेद नं. 44 में ऐसा निर्णय घोषित कर दिया गया है कि जैन धर्म और

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

हिंदू धर्म अथवा जैन धर्म और मुस्लिम धर्म की मान्यताओं के बीच कोई विरोध नहीं है । इसीलिए प्राचीन काल में जैनों के खर्च से जैनों ने पर्वत पर अन्य धर्म के मंदिर आदि बनवाएं हैं ।

कैसा अर्थघटन !!! हमारी ही पेढ़ी ने सकल जैन संघ के नाम पर उपरोक्त मामले में जो अनावश्यक विस्फोटक बयान दे दिए हैं उनका उपयोग करके कैसा भयंकर धमाका किया गया !!! अदालत जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में किस तरह बोलना या लिखना इसके बारे में आँखें खोल दे - ऐसा यह जबरदस्त उदाहरण है ।

पेढ़ी साफ तौर पर कह देती है कि *'तीर्थ पर जब से जैन मंदिर है तभी से जैनों के खर्च से अजैन मंदिर बने हैं। साथ ही जैनों द्वारा अपने खर्चे से उन मंदिरों की व्यवस्था की जाती है । अपने ही खर्चे से पुजारियों को रखते है । अपने ही खर्चे से अजैन यात्रियों को पूजा की सामग्री–सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं!'* और तो और, दूसरी जगह पर पेढ़ी कहती है कि *'शत्रुंजय महातीर्थ पर अजैनों की प्रवृत्तियों में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।'* फिर तीसरी जगह लिखती है कि *'जैन धर्म हिंदुइज़्म में समाता है!'* फिर क्या बाकी रहा ? तुरंत ऐसा अर्थघटन कर दिया गया कि यदि जैन मंदिर बने तब से जैनों ने खुद के खर्च से हिंदू मंदिर या मुस्लिम दरगाह बनाएँ हैं तो उन धर्मों की मान्यता के बीच कोई विरोध नहीं होना चाहिए !

अब फैसले में कही गई इस बात का क्या असर होगा ? यही कि – 'जैन धर्म की मान्यता को हिंदू (वैदिक) धर्म और मुस्लिम धर्म की मान्यता के साथ परस्पर कोई विरोध नहीं है । अत: जैन धर्म के तीर्थों में हिंदू या मुस्लिम धर्म को ही मान्य प्रवृत्तियाँ भी की जा सकती है !! ऐसा करने में जैन धर्म की कोई परंपरा या सिद्धांत नहीं टूटता ।' ऐसे में जैन शास्त्रों के अनुरूप अजैन मंदिरों में पूजा-पाठ कराने का हमारे पास अधिकार भले हो लेकिन उस अधिकार का कोई उपयोग नहीं रहता, क्योंकि दोनों मान्यता के बीच कोई विरोध नहीं है। और तो और, इस निर्णय का अर्थघटन ऐसा भी किया जा सकता है कि 'जैन तीर्थों में वैदिक धर्म या मुस्लिम धर्म की प्रवृत्तियाँ करने में जैन धर्म को कोई आपत्ति नहीं है । अत: जैन तीर्थों में यदि कोई हिंदू (वैदिक) धर्म या मुस्लिम धर्म की प्रवृत्ति करे तो उसे जैन धर्म के आधार पर रोकने का किसी को अधिकार नहीं है !!'

भगवान को दो हाथ जोडकर प्रार्थना करते हैं कि कोई ऐसा भयंकर अर्थ न करे । यहां हमारे द्वारा बताई गई अर्थघटन की संभावनाएँ साकार न हो लेकिन लाख रूपये का सवाल यह है कि यदि पेढ़ी के बयानों से प्रेरित होकर लिखे गए फैसले के वाक्यों का ऐसा अर्थ किया गया तो भविष्य में उसे कानूनी दृष्टिकोण से क्या हम रोक पाएँगे ?

दूसरी बात । नीलकंठ महादेव मंदिर का प्रबंधन जैन शास्त्रों के अनुसार करने का जो उल्लेख फैसले में किया गया है उसका अर्थघटन कोई ऐसा भी कर सकता है कि 'अजैन धर्मास्थान का प्रबंधन जैन शास्त्रों के खिलाफ ही हो – ऐसा ज़रूरी नहीं है । जैन शास्त्रों की मर्यादानुसार भी अजैन धर्मस्थानों का प्रबंधन हो सकता है ।' ऐसा निष्कर्ष यदि निकले तो क्या वह जैन धर्म की मर्यादानुसार कहा जा सकेगा ? यह भी गंभीरता से विचारणीय है ।

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

इस मुद्दे पर एक ऐसी अपेक्षा पेढ़ी से है कि महाशिवरात्रि के दौरान गिरिराज पर अजैनों के रात्रि ठहराव को रोकने का प्रयत्न जिस प्रकार पेढ़ी ने किया था, उसी प्रकार जैन शास्त्रों के अनुसार अन्य नीति-नियमों का भी पालन गिरिराज पर पेढ़ी कराती रहे, अपने अधिकारों का सदुपयोग करती रहे तो अन्य धर्मस्थानों में होने वाली गतिविधियों की जैन शास्त्रों के साथ असंगति थोडी कम होगी ।

5. फैसले के अनुच्छेद नं. 23 में कहा गया है कि 'शत्रुंजय पर वर्तमान में सब से प्राचीन मंदिर 900 वर्ष पुराना है और अधिकतर मंदिर 16वीं सदी के हैं ।' साथ ही कहा गया है कि इस तीर्थ पर सर्वप्रथम भरत चक्रवर्ती ने मंदिर निर्मित करवाए थे ।

यह सारी प्रस्तुति ऐसी है कि उसमें से भ्रामक अर्थघटन हो सकता है । कोई ऐसा मानने की भूल कर सकता है कि 900 वर्ष पूर्व पर्वत पर जैन मंदिर नहीं थे । वास्तव में तो भगवान आदिनाथ के समय से इस पर्वत पर सतत जैनमंदिरों का अस्तित्व चला आ रहा है । जीर्ण हो जाने पर उनकी मरम्मत या आमूलचूल जीर्णोद्धार के कार्य हुए हैं । आक्रमण करने वालों ने नाश किया तो उनका पुनः निर्माण हुआ है, लेकिन सतत जैन मंदिर तो रहे ही है । यह जैन शास्त्र एवं परंपरानुसार पक्की मान्यता है । आदिनाथ भगवान का मंदिर सर्वप्रथम भरत चक्रवर्ती द्वारा निर्मित किया गया । उसके बाद इस महातीर्थ पर 16 उद्धार होने के उल्लेख मौजूद है । वर्तमान में मूलनायक का जो मंदिर है वह उदयन मंत्री के सुपुत्र बाहड मंत्री द्वारा निर्मित किए जाने की बात है । बाकी एक हकीकत का खयाल सभी को रखना चाहिए कि आज भी गिरिराज पर संप्रति महाराजा का मंदिर है, जिसके निर्माता का राज्यकाल करीब 2300 वर्ष पूर्व का है।

6. एक और अन्य मुद्दा विचारणीय है । फैसले के अनुच्छेद नं. 28 में ऐसा कहा गया है कि अकबर द्वारा दिए गए फरमान द्वारा हीरविजयसूरि महाराजा को शत्रुंजय आदि पर्वत दिए गए थे। यहां 'दिए गए' शब्द चर्चा के योग्य है ।

अकबर के फरमान के अदालत द्वारा मान्य अंग्रेज़ी अनुवाद के आधार पर संबंधित शब्द पढ़ते हैं ।

'... और जांच करने पर हमें पता चला कि... वे पर्वत और उपासनास्थल जैन श्वेतांबरों के हैं... हमारी सल्तनत और राज्य में जहां भी ऐसे श्वेतांबर जैनों के तीर्थस्थान और उपासनास्थल है, हम उन्हें श्वेतांबर जैन पंथ के हीरविजयसूरि के स्वीकारते हैं और इनके द्वारा सम्मानित करते हैं... एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि इतने जैन श्वेतांबर पर्वत, तीर्थस्थान और उपासनास्थल हीरविजयसूरि को दिए गए हैं याने वास्तव में तो वे सभी श्वेतांबर जैन पंथ के हैं...'

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

सामान्य तौर पर, 'दिए गए' शब्द का प्रचलित अर्थ 'पहले नहीं थे और अब दिए गए' होता है । लेकिन ऐसा अर्थ तो फरमान ही नकार देता है । क्योंकि पहले ही लिखा गया है कि – 'जांच करने पर हमें पता चला कि... वे पर्वत आदि श्वेतांबर जैनों के हैं । याने वे पर्वत आदि फरमान दिए जाने के पहले से ही श्वेतांबर जैनों के थे। और तो और, अंत में स्पष्टीकरण भी किया गया है कि 'दिए गए' याने वास्तव में तो वे सभी श्वेतांबर जैनों के हैं । फरमान के शब्द इतने स्पष्ट है कि जिनके विशेष स्पष्टीकरण की आवश्यकता ही नहीं है । सिर्फ इतना ही कहना है कि आगे-पीछे के संदर्भ के बगैर 'दिए गए' शब्द भ्रम पैदा करने वाला लगता है । उसका अर्थ फरमान के स्पष्टीकरण के साथ ही किया जाना चाहिए ।

7. अब हम एक ऐसे मुद्दे पर गौर करेंगे, जो है तो छोटा सा, लेकिन पेढ़ी की उपेक्षा और उसमें से निकाले गए भावार्थ के कारण इसे गंभीर बना दिया गया है ।

उपरोक्त फैसले के अनुच्छेद नं. 49 में शत्रुंजय तीर्थ संबंधित भावनगर ज़िला कलेक्टर की एक सार्वजनिक अधिसूचना को गुजरात सरकार द्वारा पेश किए गए दस्तावेज़ के रूप में स्थान दिया गया है । यहां उसे स्थान देने से ज्यादा उच्च न्यायालय ने उसका ज़िक्र करते हुए उसमें से उद्धरण लिया है, जो उसका महत्त्व बढ़ा देता है । उसमें सर्वप्रथम कलेक्टर का कहना है कि '*शाश्वत गिरिराज एक पवित्र यात्राधाम है ।*' यहां विडंबना यह है कि किस धर्म का यात्राधाम है उसकी कोई स्पष्टता नहीं की गई है । हमें ऐसा लग सकता है कि 'ठीक है । अब इसमें क्या बहस की जाएँ ? समझ ही लिया जाना चाहिए कि जैनों का यात्राधाम है ।' अब आगे पढ़िएँ । उसी अधिसूचना में तुरंत ही दूसरे वाक्य में कहा गया है कि 'वहाँ जैन, हिन्दू, मुस्लिम आदि धर्मों के धार्मिक स्थल हैं ।' अब उपरोक्त दोनों वाक्यों को जोडकर अर्थ किया जाएँ तो क्या अर्थ निकल सकता है ? यही कि *'गिरिराज तो एक यात्राधाम ही है । उस पर तीनों धर्म के धार्मिकस्थल है । अत: वह तीनों धर्मों का यात्राधाम है !!'* किसी को ऐसा लग सकता है कि यह तो काफी खींचतान करके अर्थ किया जा रहा है । लेकिन यदि कोई ऐसा अर्थ करे तो क्या कानूनी रूप से उसे गलत कह सकेंगे ?

एक तरफ किसका यात्राधाम है उसकी कोई स्पष्टता नहीं है और दूसरी ओर तीनों धर्मों के धार्मिक स्थलों को एक ही श्रेणी में लिख दिया गया है । तो तीनों धर्मों का यात्राधाम क्यों नहीं हो सकता ? यदि ऐसा लिखा गया होता कि गिरिराज पर मुख्यत: जैनों के धार्मिक स्थल है । साथ साथ हिंदू और मुस्लिम के भी है, तो कुछ बचाव होने की संभावना रहती ! ('कुछ' इसलिए कि ऐसे बयान में से ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है कि मुख्यत: जैनों का यात्राधाम है, साथ ही हिंदू और मुस्लिम धर्म का भी यात्राधाम है । ऐसा अर्थ निकले ही नहीं उसके लिए तो संपूर्ण गिरिराज किसका यात्राधाम है यह स्पष्ट रूप से लिखना ज़रूरी है ।) उस अधिसूचना में भले जैन धर्म के अनुरूप

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

शब्दों का प्रयोग हुआ हो, लेकिन गिरिराज पर तीनों धर्म के धार्मिक स्थान होने के बावजूद गिरिराज तीनों धर्म का यात्राधाम नहीं है - ऐसा अर्थ तो उपरोक्त दोनों बयानों में से निकलना चाहिए ना ?

किसी को शायद ऐसा लगे कि भला क्या हो गया ? कौन ऐसी खींचतान करे ? तो देख लीजिए उच्च न्यायालय द्वारा ही कराया गया अंग्रेज़ी अनुवाद, जिसका अनुच्छेद नं. 49 में ही उल्लेख किया गया है । उसका हिन्दी में अर्थ देख लीजिए - 'शाश्वत महातीर्थ गिरिराज पालीतणा का पवित्र स्थान है । उस पवित्र स्थान पर जैन, हिंदू, मुस्लिम और अन्यों के यात्राधाम स्थित है ।'

हमें ऐसा लग सकता है कि इस तीर्थ में तीनों के यात्राधाम है - ऐसी खींचतान अधिसूचना में से भला कौन करेगा ? लेकिन ऐसा अर्थ उच्च न्यायालय ने ही अधिकृत रूप से कर दिया है। जो समझे उसकी तो नींद हराम हो जाएँ वैसा अनर्थ हो सकता है ! यहां पेढ़ी की उपेक्षा भी साथ में जोडने का यही कारण है कि कलेक्टर ने सन् 2017 में अधिसूचना जारी की थी । उसे पढ़कर तुरंत ही तीर्थ की व्यवस्थापक पेढ़ी ने यदि उसका स्पष्टीकरण जारी कर अधिसूचना सुधरवा दी होती तो ऐसी समस्या ही खड़ी नहीं होती ! पर ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की परवाह कौन करे ?

यदि कानूनी स्तर पर एक बार पंजीकृत हो गया कि यह तीर्थ तीनों धर्मों का यात्राधाम है फिर तो उसके साथ दूसरे सबूत भी जुड़ने लगते हैं । 'इतने सालों से इतने अन्य धर्मों के यात्री आते हैं', 'इतने समय से वहां ऐसी ऐसी प्रवृत्तियां हो रही हैं', फिर 'शत्रुंजय मात्र जैनों का यात्राधाम है । अन्य धार्मिक स्थानों पर जैन संघ की मालिकी हैं । यात्राधाम के तौर पर वे कोई सार्वजनिक स्थान नहीं है' - ऐसा स्थापित करना मुश्लिक हो जाएगा । और यदि ऐसा स्थापित नहीं होता तो गिरिराज पर अन्य धर्मों की प्रवृत्ति खुलेआम हो सकती है । फिर उन्हें रोकने का अधिकार 'इस गिरिराज का कण-कण पवित्र है । यहां अनंत साधकों ने मुक्ति पाई है । यहां ऐसी प्रवृत्ति नहीं हो सकती ।' जैसे कथनों से भी नहीं रहेगा । तब तो 'यह तीनों धर्मों का यात्राधाम है । अत: तीनों धर्म खुद खुद के तरीके से प्रवृत्ति कर ही सकते हैं।' ऐसा दावा करने वालों को कैसे रोका जाएँ, यह भी एक बड़ी समस्या बन जाएगी ।

किसी को प्रश्न हो सकता है कि एक कलेक्टर ने एक पंक्ति में ज़रा अलग तरीके से लिख दिया उसे आखिर इतना महत्त्व क्यों दिया जाएँ ? ठीक है, हमें ज़रा भी महत्त्व नहीं देना है, लेकिन चर्चा इस बात की चल रही है कि जब दूसरा कोई उसे महत्त्व दे देगा, तो क्या हो सकता है ।

वास्तव में कलेक्टर याने अधिकृत राज्य अधिकारी ही होता है । उसके नाम से जारी आदेश सरकारी आदेश ही गिना जाता है । और उच्च न्यायालय ने जब उसका उल्लेख किया है तो वह और मज़बूत गिना जाता है। और तो और, इसके खिलाफ पेढ़ी की ओर से अधिकृत रूप से कोई स्पष्टीकरण भी जारी नहीं किया गया हो तो वह और ज्यादा ठोस गिना जाता है ।

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

दूसरी बात । इस फैसले का संदर्भ लेकर जब अन्य कानूनी गतिविधियाँ होगी,तब लगभग उच्च न्यायालय द्वारा किए गए अंग्रेज़ी अनुवाद को ही हाथ में लिया जाएगा । लगभग गुजराती का रेफरेन्स नहीं लिया जाएगा और अंग्रेज़ी में तो स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ होने से साफ तौर पर अनर्थ होने की पूरी संभावना है ।

तीसरी बात । आज से 400 वर्ष पूर्व गिरिराज के सर्वाधिकार श्रीसंघ के पास सुरक्षित थे । लेकिन धीरे धीरे उनमें से जो दबा दिए गए, कमज़ोर पड़ते गए, उसमें बहुत बड़ी भूमिका कानूनी शब्दों की उथल-पुथल की रही है। ऐसे उदाहरण तो अन्य तीर्थों के इतिहास में भी मिलते हैं, लेकिन पालीतणा का ही थोडे वर्ष पुराना इतिहास देखते हैं। पहले गारियाधार के दरबार लोग जो पालीतणा आकर बसे थे, उन्हें गिरिराज के रक्षक के तौर पर जैन संघ ने नियुक्त किया था। वे धीरे-धीरे ठाकुर बन बैठे और धीरे-धीरे गिरिराज के रक्षक से मालिक भी बन बैठे । किसके आधार पर ? कोई युद्ध लड़कर नहीं, बल्कि दस्तावेज़ों और उनके शब्दों की चालबाज़ी से ही !! उसी तरह प्रस्तुत मामले में शत्रुंजय गिरिराज जैनों के सर्वश्रेष्ठ महातीर्थ से 'यात्राधाम' बन गया और धीरे से जैन, हिंदू, मुस्लिम और अन्यों का भी यात्राधाम कहा जाने लगा है । अब इससे भी नीचे उतरने की नौबत आए उससे पहले समय पर सावधान होकर गिरिराज को पूर्णरूप से जैनों के सर्वश्रेष्ठ महातीर्थ के रूप में स्थापित करने की ज़रूरत है । बाकी इतना समझ लेना ज़रूरी है कि भयंकर आफतों की शुरूआत नगण्य सी लगने वाली भूलों से होती है ।

एक स्पष्टीकरण कर लेता हूं कि इस मुद्दे पर ज़रा विस्तार से विवेचन इसलिए किया है कि कानूनी मामलों में छोटी सी भूल कितनी बड़ी समस्या खडी कर सकती है – इस बात का अंदाज़ा आ सके । बाकी कलेक्टर की अधिसूचना किसी कानून जितनी महत्त्वपूर्ण है और अदालत ने गिरिराज को अब अन्यों का यात्राधाम स्थापित कर दिया है - ऐसा भावार्थ नहीं है और ऐसा है भी नहीं। सारांश इतना है कि बडे नुकसान से तीर्थों को बचाना हो, तो छोटी-छोटी बातों पर लापरवाही नहीं चलाई जा सकती ।

8. फैसले के अनुच्छेद नं. 43 में यह निश्चित किया गया है कि नीलकंठ महादेव मंदिर के पूजारी की नियुक्ति पेढ़ी की सलाह लेकर सरकार करेगी । वैसे तो इस वाक्य में कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन ज़रा गहराई में उतरेंगे तो पेढ़ी की कार्यप्रणाली पर काफी आश्चर्य होगा ।

सबसे पहले तो सन् 1928 में दरबार के साथ किए गए समझौते में महादेव मंदिर के पूजारी की नियुक्ति के बारे में कोई स्पष्टता नहीं की गई है ।

उसके बाद सन् 1965 से महादेव मंदिर के पूजा-पाठ के विषय में बयान देते हुए पेढ़ी अपने एफिडेविट के अनुच्छेद नं. 18 में कहती है कि सन् 1965 से तो महादेव मंदिर का ध्यान रखने वाला कोई था ही नहीं । तब से पेढ़ी हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार अपने कर्मचारी के द्वारा देखरेख-संचालन करती आई है ।

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

उसके बाद सन् 2016 में पालीतणा के डिप्टी कलेक्टर द्वारा लिखित एक पत्र का उल्लेख फैसले के अनुच्छेद नं. 33 में किया गया है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर का कहना है कि 'सरकार की किसी अधिसूचना से नीलकंठ महादेव मंदिर के पूजारी की नियुक्ति के अधिकार का प्रावधान हमारे पास नहीं होने से आपकी अर्ज़ी फाइल में रखी जा रही है...'

सन् 2017 में डिप्टी कलेक्टर द्वारा ही लिखित एक अन्य पत्र में वे लिखते हैं कि '... कलेक्टर कार्यालय भावनगर के संदर्भ (2) के पत्र के अनुसार कलेक्टर कार्यालय के अंतर्गत जिन मंदिरों का संचालन किया जाता है, उनमें शत्रुंजय पर्वत पर स्थित महादेव मंदिर का समावेश नहीं होता...' । इस पत्र का भी उल्लेख फैसले के अनुच्छेद नं. 33 में किया गया है ।

महादेव मंदिर के संचालन और पूजारी की नियुक्ति के विषय में सरकार के उपरोक्त स्पष्ट निर्देश और अन्य आधारों को ध्यान में रखकर पेढ़ी को उच्च न्यायलय में इस प्रकार अपना पक्ष रखना चाहिए कि 'महादेव मंदिर के प्रबंधन के अधिकार किसके पास है, यह अस्पष्ट होने के बावजूद वर्षों से हम मंदिर को संभाल रहे हैं । अत: अदालत को स्पष्ट रूप से यह निर्णय करना चाहिए कि महादेव मंदिर का प्रबंधन जैनों द्वारा ही किया जाएँ ।' इसके बदले पेढ़ी उच्च न्यायलय में मौखिक रूप से यह कह रही है कि 'महादेव मंदिर का प्रबंधन राज्य द्वारा होना चाहिए और पूजारी की नियुक्ति भी ।' (इस बात का उल्लेख फैसले के अनुच्छेद नं. 11 में है ।)

उपरोक्त प्रबंधन का अधिकार हमारे पास रहने की संभावना होने के बावजूद पेढ़ी के इस प्रकार के बयान के आधार पर उच्च न्यायलय ने भी पूजारी की नियुक्ति का अधिकार राज्य के पास है - ऐसा निर्णय दे दिया । इस अधिकार में पेढ़ी की भूमिका मात्र सलाह देने तक ही स्वीकृत की गई है। इसमें भी विचित्र बात यह है कि पूजारी को नियुक्त करने का अधिकार सरकार के हाथों में जाने के बावजूद प्रबंधन खर्च तो पेढ़ी के सिर पर ही रहा है । साथ ही सरकार जो नियुक्ति करे वह कभी हमारी मर्यादाओं के अनुरूप न हो, तो उसे नामंजूर करने का अधिकार भी पेढ़ी के पास नहीं है । ऐसी स्थिति में सरकारी नियुक्ति हावी रहेगी या पेढ़ी की सलाह - यह शंका का विषय ही है । इस कश्मकश में हमारे पास महातीर्थ की मर्यादाओं के साथ अधिक समझौता करने का ही विकल्प तो बचा नहीं रह जाएगा ? इस समस्या का भी समाधान स्पष्ट नहीं है ।

एक छोटे से प्रबंधन के मुद्दे पर बिना सोचे समझे ही बयान देने की पद्धति के कारण नुकसान चाहे छोटा हो या बड़ा, होगा तो तीर्थ को ही ! यद्यपि हमारे महातीर्थ में, जहां जैन संघ का ही सर्वाधिकार हो, वहां सरकार का अधिकार खड़ा हो जाना, उसमें भी सरकार के मना करने के बावजूद सामने जाकर हम ही उस अधिकार को समर्पित कर दे - इसे छोटा नुकसान कैसे कहा जाएँ - यह एक प्रश्न है । इसके बावजूद जब अनसुलझी गुत्थि

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

ज्यादा उलझ जाएगी, तब अदालत के चक्कर हमें ही लगाने पडेंगे – इस बात का पुख्ता विचार बयान देते वक्त किया गया हो – ऐसा नहीं लगता ।

9. अब अंतिम मुद्दा है उपरोक्त फैसले से लाभ मिलने की जो संभावना थी उसका । कुछ समय पहले तीर्थरक्षा के मुद्दे पर पेढ़ी के अनेक ट्रस्टियों एवं वकीलों के साथ मेरी बैठक हुई थी, जिसमें शत्रुंजय महातीर्थ की कडी सुरक्षा के लिए कैसे कदम उठाए जाने चाहिए - इस विषय पर विचार-विमर्श हुआ था । उस वक्त मैंने पेढ़ी के ट्रस्टियों और वकीलों को भारपूर्वक सुझाव दिया था कि शास्त्रों के आधार पर सिद्धगिरिराज के लिए जैन धर्म के अनुसार कोर्ट में चार विशेषण सुनिश्चित कराने की ज़रूरत है ।

1. – ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप एंड एडोरेशन (पूजा एवं भक्ति योग्य तत्त्व)

2. – टॉपमोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस ऑफ जैन्स (जैनों का सर्वोच्च महत्त्वपूर्ण क्षेत्र)

3. – एसेंशियल एंड इंटिग्रल पार्ट ऑफ जैनिज़म (जैन धर्म का अनिवार्य एवं अविभाज्य अंग)

4. – प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ जैन्स (जैनों का पूजा-उपासना स्थल)

यदि ये चारों विशेषण अदालत में स्थापित हो जाए, तो सिद्धगिरिराज की सुरक्षा में काफी सरलता होगी । और तो और, ये चारों विशेषण सिद्ध करने के लिए हमारे शास्त्रों में स्वतंत्र आधार उपलब्ध हैं, जिससे अदालत में ठोस तरीके से प्रस्तुति द्वारा स्थापित करना भी आसान है ।

लेकिन दु:ख की बात यह है कि प्रस्तुत मामले में पेढ़ी द्वारा दाखिल किए गए एफिडेविट में उपरोक्त चार मुद्दों को शास्त्राधारों के साथ पद्धतिपूर्वक स्थापित करने का प्रयास हुआ हो – ऐसा नहीं दिख रहा और इसलिए फैसले में भी इन चारों विशेषणों की व्यवस्थित प्रस्थापना हमें नहीं मिली। जैन शासन के लिए अनुकूल संयोग होने के बावजूद यह फैसला महत्त्वपूर्ण लाभों से वंचित रखने वाला साबित हुआ है । भविष्य के लिए आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इस प्रकार का लाभकारी निर्णय पेढ़ी कराकर ले आएँ ।

यहां फैसले से संबंधित विचारणीय मुद्दों पर चर्चा की गई है । श्रीसंघ में इन बातों पर सही समझ फैले - यही शुभकामना करता हूँ ।

यहां एक स्पष्टीकरण प्रत्येक पाठक को ध्यान में रखना ज़रूरी है । प्रस्तुत तटस्थ विश्लेषण के पहले और दूसरे भाग में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई हैं उनमें किसी भी धर्म के प्रति द्वेष या ईर्ष्या से प्रेरित होकर कुछ नहीं लिखा गया है। सिर्फ इतना है कि प्रत्येक धर्म के प्रमुख स्थानों में उनके अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए । उनमें

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

मिलावट होने से भविष्य में बेवजह जटिल समस्याएँ खडी हो जाती है । ऐसा न हो - इस नेक इरादे से ही उपरोक्त मामले पर प्रकाश डाला है ।

अब, उपरोक्त फैसले में समाविष्ट ऐतिहासिक विवरण की समीक्षा एवं उसमें से ध्वनित होने वाले श्रीसंघ के प्रतिनिधित्व संबंधी ढ़ांचे पर विचारविमर्श भाग–3 में जल्द ही पेश करने का प्रयास करूँगा ।

हस्ताक्षर

[गच्छाधिपति आचार्य विजय युगभूषणसूरि]

NOTE :

I, Gacchadhipati of Mohjit Samuday Chaturvidh Sangh, on behalf of our Sangh, by virtue of my declaration dated 17th December 2020, do make aware to Sangh that the 1877 Resolution and 1928 Agreement which were instrumental in damaging the rights of Jain community, formed the base for this Neelkanth Mahadev Temple case Judgment. Therefore, we have held this Judgment under consideration for indefinite period and advise that entire Sangh should seriously think over it.

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in